न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 126/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
किशनसिंह पुत्र तगसिंह राजपूत निवासी– ग्राम भीमसर (मूलाना), तहसील फतेहगढ, जैसलमेर।		1. निम्बसिंह पुत्र अचल सिंह 2. गणपतसिंह पुत्र जेठमल 3. रमणसिंह पुत्र जेठमल 4. राजूसिंह पुत्र जेठमल 5. लीलादेवी पत्नी जेठमल 6. श्यामसिंह पुत्र जेठमल 7. खिवराजसिंह पुत्र भूरसिंह 8. बलवंतसिंह पुत्र भूरसिंह 9. सवाई सिंह पुत्र भूरसिंह 10. हाथीसिंह पुत्र भूरसिंह 11. मोहनकंवर पुत्र भूरसिंह 12. मै0 सूजलोन गुजरात विण्ड पार्क, लिमिटेड, जयपुर। 13. भूमिधारी तहसीलदार, फतेहगढ जिला जैसलमेर।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 29.08.2023 जो उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ, जैसलमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 35/2023 अनवान निम्बसिंह बनाम गणपतसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हनुमानसिंह भाटी, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राज. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 29 जनवरी 2025

अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ, जैसलमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 35/2023 अनवान निम्बसिंह बनाम गणपतसिंह वगैराह में पारित अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश दिनांक 29.08.2023 के विरूद्ध दिनांक 22.09.2023 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.8.2023 विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई दस्तावेज, रेकार्ड का अध्ययन किये, बिना मौके की जॉच किये उक्त आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है, जो अपास्त किया जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के पेश करते हुए कथन किया कि उनकी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 597/1445 रकबा 12.1350 हैक्टर भूमि ग्राम भीमसर में स्थित है। उक्त खसरे के पडौस में अन्य पडौसी खातेदारों के की भूमि स्थित् है। रेस्पोडेन्ट अपनी भूमि के चारो और पक्की तारबन्दी करवाना चाहता है परन्तु उनकी भूमि व पडौसी खातेदारो की भूमि के मध्य पुरानी माठे बनी हुई थी जो आंधियों की वजह से नष्ट हो गई है, जिससे सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। इस कारण से पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है, रेस्पोडेन्ट ने अपनी भूमि की पूर्व में दिनांक 16.5.2023 को पैमाइश करवाई थी लेकिन अप्रार्थीगण पैमाइश को नहीं मान रहे है। अतः रेस्पोडेन्ट के उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही अपूर्ण प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि धारा 111, 128 में सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा बिना किसी पैमाइश रिपोर्ट के, बिना मौका जॉच किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि अपास्त करने योग्य है। वादग्रस्त भूमि की पैमाइश कार्यवाही के बिना पत्थरगढी किये जाने का आदेश कानूनन नहीं दिया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2023 को अपास्त किया जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर उनकी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 597/1445 रकबा 12.1350 हैक्टर भूमि ग्राम भीमसर की सीमाओं की सुरक्षा हेतु सीमाओं का सही ज्ञान नहीं होने से तथा तारबन्दी/नेखमबन्दी हेतु आवेदन किया गया था तथा यह भी निवेदन किया गया था कि सीमाओं का सही ज्ञान नहीं होने से हम पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण पूर्व में भी दिनांक 16.5.2023 को भूमि की पैमाइश करवाई गई थी लेकिन अप्रार्थीगण उक्त पैमाइश को नहीं मान रहे है। अतः रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि के सभी पडौसी खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया था, जिस पर वर्तमान अपीलान्ट संख्या 1 एवं अन्य रेस्पो0 संख्या 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पैरवी की थी एवं रेस्पो0 संख्या 7 ता 11 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया था। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा इस अपील में जो तथ्य एवं कथन दर्शाये गये है, उन सभी का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में किया जा चुका है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि के सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकारान बनाया गया है।

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में यह आदेश पारित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा उल्लेखित खसरा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं सम्बन्धित पक्षकारो/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फतेहगढ को दिये जाते है। साथ ही प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पडौसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस सूचित करते हुए विधिक उपबंधानुसार, किसी दीगर व्यक्ति का उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा हो तो बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किसी दीगर व्यक्ति को कब्जे से बेदखल नहीं करते हुए पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट द्वारा अपील में कोई भी नये तथ्य उजागर नहीं किये है। अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए अपीलाधीन प्रकरण में अपीलान्टस बतौर अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संस्थित रहे है जिन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया है एवं उनकी ओर से अधिवक्ता के द्वारा बहस की गई है एवं जबाव पेश किये गये है जिनका सविस्तार निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है एवं रेस्पो0 संख्या एक की भूमि खसरा संख्या 597/1445 के पडौसी खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये जाने के आधार पर रेस्पो0 संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त भूमि के पडौसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रखते हुए पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 29 जनवरी. 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर